

## कार्यवृत्त

गुरुवार, 27 फाल्गुन, शक संवत्, 1937  
( दिनांक : 17 मार्च, 2016 )

खण्ड-44  
अंक-7

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये उत्तर दिए गये।

श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि सदन का सत्र चल रहा है, जबकि कैबिनेट की बैठक के निर्णय के सापेक्ष देहरादून की सड़कों पर होर्डिंग के माध्यम से मारो मुख्यमंत्री का आभार दर्शाया गया है। जिस पर आपकी व्यवस्था अपेक्षित है। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्देशित किया कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त 18 सूचनाओं में से निम्नांकित विषयों पर 07 सूचनाएं स्वीकृत हुईं एवं पढ़ी गईः—

- |   |   |
|---|---|
| 1. श्री राजकुमार तुकराल<br>(पढ़ी हुई मानी गई) | विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के पुरानी सब्जी मण्डी के दुकानदारों की दुकान फी होल्ड किये जाने तथा रुद्रपुर में नैनीताल रोड पर रिथित राम मनोहर लोहिया मार्केट को बचाने के संबंध में।                                    |
| 2. श्री मालचन्द<br>(पढ़ी हुई मानी गई)         | विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी, पुरोला एवं नौगाँव में स्वजल परियोजना के अन्तर्गत पुरोला की उपेक्षा से क्षेत्रवासियों में उत्पन्न आकोश के संबंध में।  |
| 3. श्रीमती अमृता रावत                         | प्रदेश में वन विभाग की आपत्तियों के कारण स्वीकृत मोटर मार्गों का निर्माण न किये जाने के संबंध में।  |
| 4. श्री तीरथ सिंह रावत<br>(पढ़ी हुई मानी गई)  | जनपद पौड़ी में जोगीमढ़ी-सराईखेत मोटर मार्ग स्वीकृति के उपरान्त निर्माण न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में उत्पन्न असन्तोष के संबंध में।  |
| 5. श्रीमती विजय बड्ढवाल                       | विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत द्वारीखाल वागो वरगड़ी, मजफ, नैरूल, डल, ग्वाड़ी व उमन आदि गाँव में मोटर मार्ग के निर्माण के लिए पी० डब्लू० डी० द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न आकोश के संबंध में। |
| 6. श्री पुष्कर सिंह धामी                      | प्रदेश में वर्षों से आन्दोलनरत एस०एस०बी प्रशिक्षित गुरिल्ला को आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई न होने के संबंध में।  |
| 7. श्री दान सिंह भण्डारी                      | जनपद नैनीताल के अन्तर्गत लो०नि०वि० के ओखलकांडा पक्लोट मोटर मार्ग को करायल से वन चौकी टकुरा तक 2 किमी० मोटर मार्ग को वन विभाग के स्वामित्व से हटाकर लो०नि०वि० को हस्तान्तरित कर पक्का करने की मांग के संबंध में।     |

श्री ललित फर्स्वाण सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के राजकीय इण्टर कालेज हड्डबाड़, बागेश्वर में इण्टर स्तर में विज्ञान वर्ग में गणित प्रवक्ता पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में” श्री भूपाल सिंह होलारिया, निवासी ग्राम व पो० हरवाड, तहसील/जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

इसी के मध्य में श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा खनन से संबंधित महत्वपूर्ण विषय को नियम-310 के अन्तर्गत लिये जाने की मांग करने पर श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-310 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना जो श्री अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रदेश में बढ़ते अवैध खनन के कारण उत्पन्न स्थिति विषयक तथा दूसरी सूचना जो पुष्कर सिंह धामी, सदस्य विधान सभा द्वारा बी०डी०ओ० द्वाराहाट द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का उत्पीड़न विषयक सूचना में से पहली सूचना को नियम-58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे तथा दूसरी सूचना को अस्वीकार करते हैं।

श्री ललित फर्स्वाण सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के ग्राम पंचायत नौगांव में ऑगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में” श्री सुन्दर सिंह रौतेला, निवासी ग्राम नाघर, पो० दोफाड, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के ग्राम पंचायत पन्द्रहपाली में खेल मैदान निर्माण के सम्बन्ध में” श्री रमेशचन्द्र सिंह हरडिया, निवासी ग्राम व पो० पन्द्रहपाली, तहसील एवं जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्रीमती अमृता रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विकासखण्ड रामनगर के अन्तर्गत पीरुमदारा क्षेत्र में पानी की निकासी हेतु नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री हरीशचन्द्र सनवाल, निवासी ग्राम व पो० पीरुमदारा, रामनगर, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्रीमती अमृता रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विकासखण्ड रामनगर के अन्तर्गत पीरुमदारा क्षेत्र में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में” श्री अमर सिंह नेगी, निवासी ग्राम व पो० पीरुमदारा, रामनगर, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्रीमती अमृता रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विकासखण्ड रामनगर के अन्तर्गत पीरुमदारा क्षेत्र में ऐलोपैथिक चिकित्सालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में” श्री हरीशचन्द्र सनवाल, निवासी ग्राम व पो० पीरुमदारा, रामनगर, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्रीमती अमृता रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विकासखण्ड रामनगर के अन्तर्गत पीरुमदारा क्षेत्र की कच्ची सड़कों के डामरीकरण के सम्बन्ध में” श्री हरीशचन्द्र सनवाल, निवासी ग्राम व पो० पीरुमदारा, रामनगर, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्रीमती अमृता रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विकासखण्ड रामनगर के अन्तर्गत पीरुमदारा क्षेत्र में राजकीय पशुचिकित्सालय की स्थापना के सम्बन्ध में” श्री हरीशचन्द्र सनवाल, निवासी ग्राम व पो० पीरुमदारा, रामनगर, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत देघाट चिकित्सालय में मानकानुसार चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों तथा अल्ट्रा साउण्ड एवं एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराने सम्बन्ध में” श्री भैरव ढौँडियाल, निवासी ग्राम गोलना, पो० देघाट, तहसील स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत देघाट बाजार में अतिरिक्त पेयजल योजना का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्रीमती नीमा बंगारी, निवासी ग्राम भरसोली, पो० देघाट, तहसील स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत ग्राम तलाई, पो० खटलगांव, स्याल्दे में पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में” श्रीमती गंगा देवी, निवासी ग्राम प्रधान तलाई,, पो० खटलगांव, तहसील स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के वल्मरा-स्याल्दे-केदार मोटर मार्ग के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री राधा रमण उप्रेती पूर्व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, निवासी ग्राम पैठाणा, पो० स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

गृह मंत्री ने अवगत कराया कि विधान सभा के उपवेशन दिनांक 10.03.2016 में माननीय पीठ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र के पत्र दिनांक 15.03.2016 के अनुसार मृतक मोहित एवं विपिन, निवासीगण ग्राम- खेड़ाजट, थाना-मंगलौर, जनपद-हरिद्वार को आर्थिक सहायता रूपया पाँच-पाँच लाख के बैंक ड्राफ्ट क्षेत्राधिकारी, मंगलौर द्वारा दिनांक 14.03.2016 को मृतक के परिजनों को प्राप्त करा दिये गये हैं। उपरोक्त अनुपालन आख्या से माननीय सदन को अवगत कराने का अनुरोध किया।

नियम-65 के अन्तर्गत श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2016 को प्राप्त विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष द्वारा निम्नवत् निर्णय दिया गया:-

“दिनांक 17 मार्च, 2015 को श्री मदन कौशिक, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा कार्यस्थगन के रूप में जनपद हरिद्वार के कोतवाली मंगलौर तहसील नारसन के खेड़ाजाट निवासी चित्रमसिंह के परिवार के दो नौजवानों की हत्या के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर गृह मंत्री द्वारा सदन में प्रत्येक मृतक के परिजनों को पांच-पांच लाख की सहायता राशि दिये जाने की घोषणा पूर्ण न होने पर, पुनः श्री मदन कौशिक, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2016 को नियम-65 के अन्तर्गत दी गयी विशेषाधिकर हनन की सूचना पर पीठ द्वारा वर्तमान सत्र में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

दिनांक 10 मार्च, 2016 को सदन में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, गृह मंत्री द्वारा सदन को अवगत कराया दिया गया है अतः आज दिनांक 17 मार्च, 2016 को दिये गये वक्तव्य के आधार पर विशेषाधिकार की इस सूचना को निस्तारित करता हूँ।"

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 मार्च, 2016 की बैठक में दिनांक 17 मार्च, 2016 से 18 मार्च, 2016 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

**मार्च, 2016**

**17 गुरुवार**

**1. विधायी कार्य**

1. उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
2. उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
3. उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
4. उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग (संशोधन), विधेयक 2016 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

**2. आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।**

**3. विभागवार अनुदान माँगों पर चर्चा एवं मतदान।**

अनुदान सं0-05	निर्वाचन
अनुदान सं0-07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें
अनुदान सं0-06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन
अनुदान सं0-18	सहकारिता
अनुदान सं0-20	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
अनुदान सं0-12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण
अनुदान सं0-19	ग्राम्य विकास
अनुदान सं0-25	खाद्य
अनुदान सं0-26	पर्यटन

**18 शुक्रवार**

**1. विभागवार अनुदान माँगों पर चर्चा एवं मतदान**

अनुदान सं0-29	औद्यानिक एवं रेशम
अनुदान सं0-11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
अनुदान सं0-27	वन
अनुदान सं0-13	जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास
अनुदान सं0-17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान
अनुदान सं0-28	पशुपालन
अनुदान सं0-16	श्रम एवं रोजगार
अनुदान सं0-01	विधान सभा विवाद नहीं होगा।
अनुदान सं0-02	राज्यपाल विवाद नहीं होगा।
अनुदान सं0-03	मंत्री-परिषद विवाद नहीं होगा।
अनुदान सं0-04	न्याय प्रशासन विवाद नहीं होगा।

अनुदान सं0-08	आबकारी
अनुदान सं0-09	लोक सेवा आयोग विवाद नहीं होगा।
अनुदान सं0-10	पुलिस एवं जेल
अनुदान सं0-14	सूचना
अनुदान सं0-15	कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध
अनुदान सं0-21	ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा
अनुदान सं0-22	लोक निर्माण
अनुदान सं0-23	उद्योग
अनुदान सं0-24	परिवहन
अनुदान सं0-30	अनुसूचित जातियों का कल्याण
अनुदान सं0-31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

**2. उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 का पुरस्थापन, विचार एवं पारण।**

**3. विधायी कार्य।**

1. उत्तराखण्ड जर्मिंदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
2. उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
3. उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वास, पुनर्वस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य—मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य, विधान सभा द्वारा रुद्रपुर में 14 एकड़ नजूल भूमि को वर्ग-4 में परिवर्तन कर एवं किछ्चा बाईपास पर 42 एकड़ भूमि को कब्जाने विषयक सूचना पर नियम-58 में चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर 'वेल' में आकर जोर-जोर से बोलते हुए चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने कहा कि वह उक्त सूचना को नियम-300 के अन्तर्गत स्वीकार करते हैं।

जनपद हरिद्वार स्थित आश्रम, मठ व मन्दिरों पर लगाये जा रहे पानी और सीधर टैक्स विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री मदन कौशिक, श्री आदेश चौहान व श्री चन्द्रशेखर, सदस्य, विधान सभा ने विचार व्यक्त किए। पेयजल मंत्री व सदस्यों को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद उधमसिंह नगर के ग्राम फाजलपुर महरौला स्थित संधू फार्म की लगभग 300 एकड़ भूमि को खुर्द-बुर्द किये जाने विषयक सूचना पर श्री राजेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा ने विचार व्यक्त किये। राजस्व मंत्री तथा मा० सदस्य को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा संवर्ग कार्मिकों को पुलिस विभाग के अनुरूप ही वेतनमान दिए जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री चन्दन राम दास एवं श्री आदेश चौहान, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री तथा मा० सदस्यों को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सरकार को पुनः विचार हेतु निर्देशित करते हुए उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

कोटद्वार के निजी गोदाम में सरकारी खाद्यान्न (बी०पी०एल०) परिवारों को आवंटित) पकड़े जाने विषयक सूचना पर श्री दलीप सिंह रावत, श्री अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किए। खाद्य मंत्री के उत्तर भाषण से असंतुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष सहित सदस्यों ने सदन का वर्हिंगमन किया। श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना का अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने 01:43 पर सदन की कार्यवाही 03:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

प्रदेश में बढ़ते अवैध खनन के कारण राजस्व क्षति तथा सामाजिक सुरक्षा को उत्पन्न खतरे विषयक नियम-310 की सूचना को नियम-58 में ग्राह्यता पर श्री मदन कौशिक, श्री अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष, श्री हरबंस कपूर, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल, श्री बंशीधर भगत, श्री संजय गुप्ता, श्री यतीश्वरानन्द, श्री अरविन्द पाण्डेय तथा श्री हरभजन सिंह चीमा ने अपने विचार व्यक्त किये। नेता सदन के उत्तर भाषण के मध्य विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात जोर-जोर से कहने लगे। श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर भी सदस्यों ने स्थान ग्रहण नहीं किया। श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने अपराह्न 05बजकर 13 मिनट पर सदन की कार्यवाही 05 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।

05 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि अध्यक्ष जी ने सदन का समय 06:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 06:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्य नियम-310 में भाजपा के युवा मोर्चा के सदस्य की गिरफ्तारी पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर 'वेल' में आकर जोर-जोर से नारेबाजी करने लगे। श्री अध्यक्ष द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा नियम-58 में श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा की सूचना पर चर्चा हेतु नाम पुकारे जाने पर मा० सदस्य उपस्थित नहीं हुए

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा हेतु श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल, सदस्य, विधान सभा का नाम पुकारे जाने पर मा० सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 मार्च, 2016 की बैठक में दिनांक 18 मार्च, 2016 को उत्तराखण्ड जर्मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण हेतु रखे गये विधेयक को आज 17 मार्च, 2016 को विचार एवं पारण हेतु रखे जाने की सिफारिश की है:-

**मार्च, 2016**

**17 गुरुवार**

**विधायी कार्य**

- उत्तराखण्ड जर्मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

(शेष कार्यक्रम यथावत)

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य पंचायतीराज मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-194, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के मध्य पंचायतीराज मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य श्री मनोज तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-34, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के मध्य उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य समाज कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-5, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के मध्य समाज कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड जर्मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-4, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के मध्य राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड जर्मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदानः—

(1) घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 658680 हजार (रूपये पैंसठ करोड़ छियासी लाख अस्सी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-05 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मात्र सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

घोर व्यवधान के मध्य अनुदान संख्या-05 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(2) घोर व्यवधान के मध्य वित्त मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 60244740 हजार (रूपये छः हजार चौबीस करोड़ सैंतालीस लाख चालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-07 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मात्र सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

घोर व्यवधान के मध्य अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(3) घोर व्यवधान के मध्य राजस्व मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 27442809 हजार (रूपये दो हजार सात सो चौवालीस करोड़ अठाईस लाख नौ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-06 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मात्र सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

घोर व्यवधान के मध्य अनुदान संख्या-06 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(4) घोर व्यवधान के मध्य सहकारिता मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 548715 हजार (रूपये चौवन करोड़ सत्तासी लाख पन्द्रह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-18 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मात्र सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

घोर व्यवधान के मध्य अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(5) घोर व्यवधान के मध्य सिंचाई मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 12315346 हजार (रूपये एक हजार दो सौ इक्टीस करोड़ तिरपन लाख छियालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-20 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मात्र सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

घोर व्यवधान के मध्य अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(6) घोर व्यवधान के मध्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 18724079 हजार (रूपये एक हजार आठ सौ बहत्तर करोड़ चालीस लाख उन्यासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-12 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मात्र सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

घोर व्यवधान के मध्य अनुदान संख्या-12 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

- (7) घोर व्यवधान के मध्य ग्राम्य विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 18849198 हजार (रूपये एक हजार आठ सौ चौरासी करोड़ इक्यानबे लाख अठ्ठानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-19 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मात्र सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

घोर व्यवधान के मध्य अनुदान संख्या-19 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

- (8) घोर व्यवधान के मध्य खाद्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 3593018 हजार (रूपये तीन सौ उन्नर्थ करोड़ तीस लाख अठ्ठारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-25 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मात्र सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

घोर व्यवधान के मध्य अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

- (9) घोर व्यवधान के मध्य पर्यटन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 2463506 हजार (रूपये दो सौ छियालीस करोड़ पैंतीस लाख छः हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-26 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मात्र सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

घोर व्यवधान के मध्य अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से—

‘विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के अन्तर्गत रुद्रपुर में राजकीय उद्यान फार्म व 31वीं वाहिनी पी0ए0सी0 के मध्य स्थित सड़क सम्पर्क मार्ग पुनः खुलवाने के संबंध में’ श्री राजकुमार टुकराल की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया, तथा

“ उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने के संबंध में” श्री पूरन सिंह फर्त्याल की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

#### घोर व्यवधान के मध्य

“रुद्रपुर विधान सभा के अन्तर्गत सिड्कुल क्षेत्र में आम नागरिकों व बच्चों के लिए एक आधुनिक पार्क निर्माण के संबंध में”, श्री राजकुमार टुकराल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2016 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री ने नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया तथा

प्रदेश के जनपद टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत, हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में 5464 शिक्षा प्रेरकों के मानदेय में बढ़ोत्तरी के संबंध में, श्री महावीर सिंह रांगड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2016 को दी गई सूचना पर, शिक्षा मंत्री ने नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य दिया।

#### घोर व्यवधान के मध्य

सदन की कार्यवाही 06 बजकर 23 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र  
सचिव,  
विधान सभा।

स्वीकृत,  
गोविन्द सिंह कुंजवाल  
अध्यक्ष,  
विधान सभा।